बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में मूक-बधिर बच्चों और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो आवासीय विद्यालय हैं परन्तु मानसिक दिव्यांगों के लिए एक भी आवासीय विद्यालय नहीं है जबकि राज्य में ऐसे बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे बच्चों के लिए चमन प्रोजेक्ट के तहत केवल पटना और गया में दो स्कूलों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है पर वहां आवास की सुविधा नहीं है। केवल दो ही स्कूल पूरे राज्य में चल रहे हैं जिस कारण अन्य जिलों के मानसिक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है।

अत: मैं सरकार से मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए राज्य के हर जिले में आवासीय स्कूल खोलने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामचन्द्र भारती,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 61/2017 - 282 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पश्चिमी चंपारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज बलथर पथ पर पंडई पुल की हालत काफी जर्जर हो चुका है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। यह पुल सिकटा, मैनागढ़, रक्सौल, समेत बोर्डर इलाके को जोड़ते हैं। पांच प्रखंडों को जोड़ने वाला पथ टूटने की स्थिति में दर्जनों गांव से संपर्क टूट जाएगा। गरीब किसानों, मजदूरों एवं आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना कराना पड़ता है।

अत: प्राथमिकता के आधार पर उक्त पुल का निर्माण कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- लालबाबू प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 60/2017 - 281 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जल संसाधन विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार का दलहन उत्पादन के लिए विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्र मोकामा, बड़हिया टाल क्षेत्र माना जाता है। राज्य सरकार ने टाल क्षेत्र में मानव जीवन का आधारभूत संरचना यथा बिजली, सड़क, विद्यालय का निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है। टाल क्षेत्र की आजीविका कृषि पर निर्भर है जो मूल रूप से प्रकृति पर आधारित है। एक तरफ टाल क्षेत्र का विशेष समावधि जलमग्न हो जाना किसानों के लिए वरदान हो जाता है दूसरी तरफ ससमय जल निकासी नहीं होने से किसान परेशान हो जाते हैं। वर्ष 2016 में राज्य सरकार ने जल निकासी का सीमित प्रयास किया जिसका तत्कालिक प्रभाव से एक हद तक सार्थक नतीजा निकला। लेकिन सुनिश्चितजल प्रबंधन की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों में काफी निराशा है।

अत: ध्यानाकर्षण के माध्यम से मोकामा टाल क्षेत्र के स्थायी जल प्रबंधन करने हेतु आवंटित राशि, कार्य योजना एवं उसके कार्यान्वयन के समय सीमा के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नीरज कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 46/2017 - 269 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जल संसाधन विकास विभाग, बिहार/ लघु जल संसाधन जल विकास विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में स्लीपर बसों के परिचालन का कोई प्रावधान नहीं है। बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 141 में ऐसे गाड़ी यानी (स्लीपर बस) का परिचालन निषेध है, बावजूद इसके राज्य टूरिस्ट कोच के नाम पर स्लीपर बसों का परिचालन हो रहा है।

राज्य परिवहन आयुक्त के पत्रांक- 3546, दिनांक- 19.08.2011 के द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को अवैध रूप से निर्मित स्लीपर बसों के परिचालन पर रोक हेतु आदेश निर्गत किया गया है। इसके बावजूद आज भी स्लीपर बसों का परिचालन विभाग की मिलीभगत से जारी है। स्लीपर बसों के परिचालन होने से सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है। साथ ही, आम जन की सुरक्षा दृष्टि से भी स्लीपर बसों का परिचालन सुरक्षित नहीं है।

अत: मैं स्लीपर बसों का परिचलन बंद कराने एवं बिना स्लीपर वाली बस का परमिट निर्गत करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- केदारनाथ पाण्डेय,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 59/2017 - 280 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 15.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

विधिपुर (पटना जिला) सोराडीह-सालेपुर (नालन्दा जिला) पी.डब्लू.डी. सड़क पटना तथा नालंदा जिला को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है। इस सड़क द्वारा 25-30 गांवों के लोग प्रतिदिन नियमित रूप से पटना-बख्तियारपुर फोर लेन सड़क तथा रेल सेवा का लाभ उठाते हैं। अन्य राष्ट्रीय उच्च पथ के जाम तथा अन्य विशेष परिस्थितियों में झारखंड, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई की तरफ से आने-जाने वाले वाहन भी इस पी.डब्लू.डी. सड़क का उपयोग करते हैं। धोबा नदी तथा फोर लेन के बीच लगभग 2 कि.मी. की दूरी में यह सड़क काफी संकरी है जिसके कारण वाहनों के आवागमन में काफी कठिनाइयां होती हैं तथा आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

अत: विधिपुर-सोराडीह-सालेपुर पी.डब्लू.डी. इन सड़क के धोबा नदी और फोर लेन के बीच लगभग 2 कि.मी. पथांश के चौड़ीकरण किए जाने के संबंध में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- हीरा प्रसाद बिन्द,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 58/2017 - 279 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 15.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 18.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 15.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।